(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2393–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–06–2012 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार सेमरिया, जिला–रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–12/2011–12

.....

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय तनय श्री रामाधार पाण्डेय
उम्र 50 वर्ष, निवासी–ग्राम खड्डा, तह0 सेमरिया
जिला–रीवा (म0प्र0) ..... आवेदक

विरूद्ध

1– लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला तनय गुलाब राम शुक्ला
निवासी–ग्राम खड्डा, तह0 सेमरिया
जिला–रीवा (म0प्र0)

2– शासन म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष महो0 रीवा

..... अनावेदकगण

.....

श्री अजय पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २५ जून 2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार सेमरिया, जिला–रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–06–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

01

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील सेमरिया, जिला रीवा के यहॉ आराजी नं0 538, 541, 1093, 1094 के सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण क्रमांक 12/अ–12/2011–12 दर्ज किया जाकर, नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.06.2012 को अनावेदकगण के पक्ष में आदेश पारित करते हुये सीमांकन का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया। उक्त आदेश दिनांक 15.06.2012 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं, किन्तु न्यायहित में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज न करते हुये प्रस्तुत निगरानी में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर प्रकरण का अवलोकन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमांकन की जानकारी होने पर आवेदक ने दिनांक 07.06.2012 को इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत किया था कि सीमांकित आराजी खसरा क्र0 1093 एवं 1094 के बगल में खसरा क्र0 1095 एवं 1096 निगरानीकर्ता व उसके सगे भाई सुनील पाण्डे बगैरह के सवत्व व आधिपत्य की भूमि है। आराजी क्र0 1094 व 1093 मेड़े है, इसी तरह 1095 मेड़ है, जो बंदोबस्त के समय से काफी पुरानी है तथा 1096 बॉध है जिसमें कालान्तर से आवेदक के पिता के जमाने से काश्त करते चले आ रहे है परन्तु गैर निगरानी कर्ता क्र0 1 ने अधिकृत राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी से सॉठ–गॉठ कर त्रुटिपूर्ण सीमांकन कराया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं लेख करते हुए आपत्ति के सम्बन्ध में बगैर कोई निष्कर्ष निकाले बिना सुनवाई का अवसर दिये मनमाने ढंग से जो आदेश पारित किया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह भी आपत्ति उठायी गयी थी कि सीमांकन पैमाइस उपकरणों के सहारे नहीं किया गया और न ही स्थाई सीमा चिन्हों का ही सहारा लिया गया, बल्कि मनमाने ढंग से हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन करते हुये आवेदक के स्वामित्व की भूमि खसरा क्र0 1096 की भूमि को गैर निगरानी कर्ता क्र0

1 की आराजी में सम्मिलित कर सीमांकन कर दिया गया है। उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत आपत्ति के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष निकाले आदेश पारित किया है। अनावेदक क्र0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आराजी खसरा क्र0 538, 541, 1093 एवं 1094 स्थित मौजा खड्डा के समांमन बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया किन्तु हल्का पटवारी द्वारा मात्र खसरा क्र0 538, 541, एवं 1094 का सीमांकन करना बताया जाकर मात्र उन्हीं भूमियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जबकि आराजी खसरा क्र0 1093 का सीमांकन क्यों नहीं किया गया, बावत कोई कारण दर्शित नहीं किया गया। इसी तरह खसरा क्र0 1094, जो बंदोबस्त के पूर्व से मेड़ थी, जिसे सीमा मानकर सीमांकन होना चाहिए था, किन्तु उक्त मेड़ के पूर्व तरफ स्थित निगरानीकर्ता के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि खसरा क्र0 1096 में 9.20 जरीब लम्बा व 0.45 जरीब चौड़ा रकबा अनावेदक क्र0 1 की भूमि मानते हुए पत्थर अवैधानिक तरीके से गड़ाया जाना दर्शित किया, तथा स्थल पंचनामा में उक्त सम्बन्ध में टीप पंचनामा बनने के बाद जोड़ी गई जो साफ–साफ दर्शित होती है। पंचनामा व नजरी नक्शा में राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर तक नहीं है। अनावेदक क्र0 1 ने हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक से मिल मिलाकर भू0रा0सं0 में सीमांकन सम्बन्धी विहित प्रावधानों का उल्लंघन कर आवेदक की भूमि को हड़पने की आशय से फर्जी सूचना पत्र स्थल पंचनामा एवं नजरी नक्शा के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते उसी को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय का सीमांकन पुष्टि सम्बन्धी आदेश सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। भूमि खसरा क्र0 541 के उत्तर तरफ भूमि खसरा क्र0 542 है, जिसके भूमि स्वामी अंगद प्रसाद, अवधेश प्रसाद एवं राजेश वगैरह है। इसी तरह भूमि खसरा क्र0 1094 के पूर्व तरफ 1096 एवं 1097 है। जिसके भूमि स्वामी आवेदक के अलावा सुनील पाण्डे, सर्वेशसिंह सनत कुमार आदि है। इसी तरह भूमि खसरा क्र0 541 के पश्चिम तरफ 544 है जिसके भूमि स्वामी सर्वेश सिंह, वंशबहादुर सिंह, योगेन्द्र प्रसाद, समय लाल, गोविन्द प्रसाद,

लोकेश शुक्ला, संतमणि, पंचराज, सुरेन्द्र प्रसाद, निर्भय दास आदि है। इसी तरह भूमि खसरा क्र0 1094 के दक्षिण तरफ खसरा क्र0 1100 है, जिसके भूमिस्वामी रामाधार, रामनिवासी, श्री निवास, इन्द्रमणि व नागेश्वर आदि है, जिन्हें सीमांकन के पूर्व किसी भी प्रकार की न तो सूचना दी गई और ना ही वह लोग सीमांकन के समय उपस्थित ही थे। आवेदक को भी कोई सूचना नहीं दी गयी बल्कि उसके फर्जी हस्ताक्षर सूचना पत्र व स्थल पंचनामा में बना लिये गये। भू0 रा0 सं0 में स्पष्ट प्रावधान है कि सरहद्दी काश्तकारों को विधिवत सूचना देते हुए उनके समक्ष सीमांकन किया जावे किन्तु हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा नियम को ताक में रखते हुए मात्र अनावेदक क्र0 1 को लाभ पहुँचाने की आशा से नियम विरूद्ध सीमांकन किया गया और उसी सीमांकन प्रतिवेदन को आधार मानकर जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि विरूद्ध है। सीमांकन कार्यवाही एक विधि प्रक्रिया है किन्तु तत्सम्बन्ध में किसी भूमि स्वामी के प्रभाव में आकर दूसरे की सम्पत्ति को प्रभावित करने तथा उसके अधिकारों का हनन करना न्यायिक क्रिया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो आपत्ति पर विचार किया गया और न ही सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया व न ही साक्ष्य का अवसर ही प्रदान किया गया। अतः नायब तहसीलदार सेमरिया द्वारा साक्ष्य अधिनस्थ की धारा 114 में विहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जिससे पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी आवेदन प्रस्तुत करते हुये आवेदक द्वारा निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्र0क्र0 12/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2012 निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनोवदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि सीमांकन के समय प्रार्थी उपस्थित थे उनके द्वारा तत्समय कोई आपील नहीं की। सीमांकन में अब निराधार आपत्ति प्रस्तुत की गई है। सीमांकन पूर्णतया नियमानुसार है अतः नायब तहसीलदार तहसील सेमरिया द्वारा पारित आदेश

दिनांक 15.06.2012 वैधानिक एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर, निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्षों के तर्क एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में सीमांकन में संलग्न सूचना पत्र में सरहदी काश्तकारों–पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के कृषकों का उल्लेख है जिसमें आवेदक राजेन्द्र प्रसाद का नाम भी है। स्थल पंचनामा पर भी राजेन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षर हैं। किसी प्रकार की आपत्ति आवेदक द्वारा सीमांकन के समय की गई है यह भी स्पष्ट नहीं है। अतः नायब तहसीलदार द्वारा पारित में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। नायब तहसीलदार सेमरिया, जिला–रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–06–2012 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर